

## प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 24.12.2025

कूटरचित व फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 1.5 करोड रुपये गबन करने के आरोप में 01 नफर  
अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष रामगढ़ताल के नेतृत्व में ३०नि० राम सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० ०८४६/२०२५ धारा ३१९(२),३१८(४),३३८,३३६(३),३४०(२) बी०एन०एस० से सम्बन्धित अभियुक्त विभांशु वैभव मिश्रा पुत्र बलराम मिश्रा निवासी सुमन सदन परशूडीह थाना परशूडीह टाटानगर झारखण्ड हाल पता ११एवन्यू गौर सिटी २ ई ८३९ सेक्टर १६ नोएडा एक्सटेंशन थाना विशरख जनपद गौतम बुध्द नगर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त द्वारा फर्जी व कूटरचित भिन्न - भिन्न ब्रान्डो को दिखाकर वादी से धोखे से कुल 1.5 करोड रुपये फूडकोर्ट चालू करने के नाम पर हड्डप लिया गया जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विभांशु वैभव मिश्रा पुत्र बलराम मिश्रा निवासी सुमन सदन परशूडीह थाना परशूडीह टाटानगर झारखण्ड हाल पता ११एवन्यू गौर सिटी २ ई ८३९ सेक्टर १६ नोएडा एक्सटेंशन थाना विशरख जनपद गौतम बुध्द नगर

### गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं०-०८४६/२०२५ धारा- ३१९(२),३१८(४),३३८,३३६(३),३४०(२) बी०एन०एस० थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तारी की टीम-

- ३०नि० राम सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
- का० अतुल रजक थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर